



## दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकरीता

कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र: ७ मालमत्ता क्र: ३८४ भाग क्र: ३०८  
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मै: धनाजी बाळकृष्ण वास्के  
भोगवटदाराचे नाव:  
भाडेकरूचे नाव:  
दुकान / इमारतीचे नाव: ८ -नेहा अपार्टमेंट

जुना वार्ड क्र: ७ जुना मालमत्ता क्र: ३०८  
मालमत्तेचे वर्णन: अपार्टमेंट  
पत्ता: जयंत सोसायटी, दौंड  
संगणक क्र.: W7AZ2000066



DND8335

| राचे विवरा    | संकलित कर रु | वृक्ष कर रु | अग्निशमन कर रु | वि. स्वच्छता कर रु | शिक्षण उपकर रु | रो. ह. उपकर रु | उपयोगकर्ता शुल्क रु | शास्ती रु दि.३१/०५/२०२४ पर्यंत | अनधिकृत बांधकामावरिल दंडात्मक संकलित कर रु | एकुण कर रु |
|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| थकीत मागणी रु |              |             |                |                    |                |                |                     |                                |                                            |            |
| चालु मागणी रु | २०४८         | ८५          | ४१             | ४१                 | ५६९            |                | ३७८                 |                                |                                            | ३१६२       |
| एकुण मागणी रु | २०४८         | ८५          | ४१             | ४१                 | ५६९            |                | ३७८                 |                                |                                            | ३१६२       |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती घेणाऱ्याची सही



## दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकरीता

कराचे बिल

वार्ड क्र: ७ मालमत्ता क्र: ३८४ भाग क्र: ३०८  
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मै: धनाजी बाळकृष्ण वास्के  
भोगवटदाराचे नाव:  
भाडेकरूचे नाव:  
दुकान / इमारतीचे नाव: ८ -नेहा अपार्टमेंट

जुना वार्ड क्र: ७ जुना मालमत्ता क्र: ३०८  
मालमत्तेचे वर्णन: अपार्टमेंट  
पत्ता: जयंत सोसायटी, दौंड  
संगणक क्र.: W7AZ2000066



DND8335

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो. २) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५०(३) अन्वये विल दिल्यापासून १५ दिवसांचे आत विलातील संपूर्ण रकमेचा भरणा केल्यास संकलित करात १ टक्का सवलत मिळेल. ३) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील ( राजपत्र दि.२७/०४/२०१० असाधारण भाग ४ )मधिल सुधारीत कलम १५० अ (१) कमेचा पूर्ण भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीतील पहिली अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३०/०९/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी. त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% शास्ती लागेल व चालु मागणीतील दुसरी अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३१/१२/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी अन्यथा त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% प्रतिमाह शास्ती भरावी लागेल. ४) रक्कम न भरल्यास कलम १५० अ (१) अन्वये एकुण थकीत रकमेच्या प्रतिमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल. व कर रक्कम दंडासह भरणा करणे बंधनकारक राहील. ५) वेळीत मुदतीच्या कालावधीत कराचा भरणा केला नाही किंवा (अ) पूर्ण कराचा भरणा शास्ती ची रक्कम, व्याज, फी व इतर बाकी रक्कम विहित मुदतीत भरली नाही किंवा (ब) कलम १६९ तरतुदीनुसार अशा विला विरुद्ध अपिल केली नाही, तर अशी रक्कम व तो वसूल करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सहिते वॉरंट (अधिपत्र) मालमत्तेची अटकावणी किंवा जप्ती करून व ती जाहिर लिलावाद्वारे विकुण वसुलीस पात्र असेल ६) जम केलेल्या स्यावर मालमत्तेबाबत मा. रक्कमेत आपली स्यावर मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. ७) सदर देयक ३१/०५/२०२४ पर्यंत चे वसुली नोंदीस आधिन राहून लागू करण्यात येत आहेत. असल्यास, भरलेली रक्कम सदर विलातून समायोजित केली जाईल.

### सन २०२४-२५ करीता मागणी

| कराचे विवरण                                 | थकीत मागणी रु | चालु मागणी                    |                               | वावु वसुली (असल्यास)<br>पावती पु.<br>पावती क्र<br>दिनांक | सन २०२४-२५ ची<br>एकुण देय मागणी रु |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                             |               | प्रथम अर्धवार्षिक<br>मागणी रु | दुसरी अर्धवार्षिक<br>मागणी रु |                                                          |                                    |
| संकलित कर रु                                |               | १०२४                          | १०२४                          |                                                          | २०४८                               |
| वृक्ष कर रु                                 |               | ४३                            | ४२                            |                                                          | ८५                                 |
| अग्निशमन कर रु                              |               | २१                            | २०                            |                                                          | ४१                                 |
| वि. स्वच्छता कर रु                          |               | २१                            | २०                            |                                                          | ४१                                 |
| शिक्षण कर रु                                |               | २८५                           | २८४                           |                                                          | ५६९                                |
| रो. ह. उपकर रु                              |               |                               |                               |                                                          |                                    |
| उपयोगकर्ता शुल्क                            |               | १८९                           | १८९                           |                                                          | ३७८                                |
| शास्ती दि. ३१/०५/२०२४ पर्यंत                |               |                               |                               |                                                          |                                    |
| अनधिकृत बांधकामावरिल दंडात्मक संकलित कर रु. |               |                               |                               |                                                          |                                    |
| एकुण कर रु                                  |               | १५८३                          | १५७९                          |                                                          | ३१६२                               |

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण                      | जून-२४ | जुलै-२४ | ऑग-२४ | सप्टे-२४ | ऑक्टो-२४ | नोव्हे-२४ | डिसे-२४ | जाने-२५ | फेब्रु-२५ | मार्च-२५ |
|----------------------------|--------|---------|-------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रक्कम रु          |        |         |       |          |          |           |         |         |           |          |
| पहिली अर्धवार्षिक मागणी रु | १५८३   | १५८३    | १५८३  | १५८३     | १६१५     | १६४६      | १६७८    | ३२८९    | ३३५२      | ३४१५     |
| दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | १५७९   | १५७९    | १५७९  | १५७९     | १५७९     | १५७९      | १५७९    |         |           |          |
| एकुण देय रक्कम रु          | ३१६२   | ३१६२    | ३१६२  | ३१६२     | ३१९४     | ३२२५      | ३२५७    | ३२८९    | ३३५२      | ३४१५     |

झाडे लावा,  
झाडे जगवा



स्वच्छ दौंड  
सुंदर दौंड



कर विभाग प्रमुख

मुख्याधिकारी

दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे